छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर – 208024
Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur- 208024

प्रो. विनय कुमार पाठक
कुलपति
Prof. Vinay Kumar Pathak
Vice Chancellor

सीएसजेएमयू/वीसीसी/413/2022
06 जनवरी , 2022

सेवा में

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

विषयः– डा0 सुधांशु त्रिवेदी मा0 सांसद, राज्य सभा द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत परिसर में कक्षों के निर्माण हेतु सांसद निधि से प्रदान किए गये रू0 50 लाख हेतु कार्यदायी संस्था के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओ के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत अतिरिक्त कक्षो के निर्माण हेतु विश्वद्यिालय द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को नामित किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के अन्तर्गत स्थापित एल0एल0एम0 भवन के पूर्णतया सुसज्जित (Full Furnished) फर्नीचर एवं अन्य एक्सटेंशन कार्यो हेतु प्रेषित आंगणन रू0 1335.97/– लाख की स्वीकृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

डा0 सुधांशु त्रिवेदी मा0 सांसद, राज्य सभा द्वारा, सांसद निधि से प्रदत्त धनराशि रू0 50.00 लाख रूपये से विश्वविद्यालय के अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के अतिरिक्त कक्षों के निर्णाण हेतु आप द्वारा लोक निर्माण विभाग, भवन खण्ड, कानपुर को कार्यदायी संस्था के रूप में चयन किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय के अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज में अवस्थापना सुविधाओ के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत कक्षो के निर्माण हेतु आप द्वारा नामित कार्यदायी संस्था–लोक निर्माण विभाग, भवन खण्ड, कानपुर के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड से उक्त कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए सांसद निधि से प्रदत्त धनराशि रू0 50.00 लाख स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रो0(विनय कुमार पाठक)
कुलपति

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. डा0 सुधांशु त्रिवेदी मा0 संसद सदस्य राज्य सभा को सूचनार्थ प्रेषित।
2 परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कानपुर नगर।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 यूनिट–10 कानपुर।
4. कुलसचिव/वित्त अधिकारी।

कुलपति

कार्यालय/Office : +91-512-2581280
फैक्स/Fax : +91-512-2581280
ई.मेल/E-mail : vcocsjmu@gmail.com
वेबसाईट/Website : www.csjmu.ac.in

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक (केन्द्रीय भण्डार)

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लि0

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
उद्योग कुंज रोड नियर हलुआखाड़ा (रजवाहा)
नौरैया खेड़ा (नहर कोठी), दादा नगर, कानपुर–208022
CIN : U15209UP1976SGC004285

पत्रांक 346 /पी.सी.एल./पी.एम./कानपुर/ दि0 13/06/2022

सेवा में,

परियोजना निदेशक
ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण
कानपुर नगर।

विषयः छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय कानपुर के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत परिसर में स्थापित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के कक्षों के निर्माण हेतु आगणन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांक 22/सां0नि0/बजट/2022–23 दिनांक 21 अप्रैल, 2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय कानपुर के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत परिसर में स्थापित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के कक्षों के निर्माण हेतु आगणन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में आप द्वारा वांछित आगणन रू0 50.03 लाख का गठित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परियोजना प्रबन्धक
निर्माण इकाई–10, कानुपर

17-6-22

पंजीकृत कार्यालय : गोमती बैराज बॉया तट, गोमती नगर, लखनऊ
फोन : 2308911, 2308945, 2308946, 2308947, 2308978 फैक्स : 0522–2308242
E-mail : pm_10@upprojects.org Website : www.upprojects.org

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कानपुर नगर।

पत्रांक 22 /सां0नि0/बजट/2022–23 दिनांक: 21 अप्रैल 2022

परियोजना प्रबन्धक,
यू0पी0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0, यूनिट–10
कानपुर।

कृपया सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत डा0 सुधांशु त्रिवेदी मा0 संसद सदस्य, राज्य सभा के पत्र दिनांक 18.12.2021 का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत परिसर में स्थापित श्री अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के कक्षों के निर्माण हेतु अपनी सांसद निधि से रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अतः मा0 सांसद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के कम में जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने हेतु यू0पी0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0, यूनिट–10 कानपुर को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है।

कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार आगणन तैयार कर तत्काल डी0आर0डी0ए0 में प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(1) डी0आर0डी0ए0 से आगणन तैयार करने हेतु पत्र प्राप्त होते ही कार्यदायी संस्था द्वारा लो0नि0वि0 के वर्तमान शिड्यूल ऑफ रेट्स (स्वीकृत दरों) के आधार पर ही स्थलीय स्थिति के अनुरूप ही आगणन तैयार किया जायेगा। अधूरे कार्य का आगणन तैयार नहीं किया जायेगा। आगणन के साथ स्थल का छायाचित्र भी खींचा जायेगा, जिसमें कार्यदायी विभाग के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता भी प्रदर्षित हों। कोई भी आगणन अनुरक्षण/अपग्रेडेषन कर तैयार कर प्रेशित नहीं किया जायेगा। धार्मिक स्थल/प्राइवेट जमीन से सम्बन्धित कार्य का आगणन तैयार नहीं किया जायेगा। आगणन तैयार करते समय तथा कार्य के क्रियान्वयन में योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का परिपालन पूर्ण रूपेण सुनिष्चित किया जायेगा।

(2) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत जारी मार्ग–निर्देशों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में कार्यान्वयन अभिकरण प्रबन्ध सम्बन्धी आरम्भिक कार्यों कार्यान्वयन पर्यवेक्षण आदि से सम्बन्धित अपनी सेवाओं के लिये किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय, सेंटेज आदि नहीं लेंगे।

(3) स्वीकृत कार्य को समयान्तर्गत प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराया जायेगा तथा समय से द्वितीय किष्त की मांग प्रेशित करते समय स्थल का छायाचित्र अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक की उपस्थिति प्रदर्षित करते हुये प्रेशित किया जायेगा तथा कार्य की गुणवत्ता भी प्रमाणित की जायेगी। तदोपरान्त सत्यापन के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर अवशेष धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी। स्थल पर कार्य से सम्बन्धित पत्थर अवश्य लगाया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा।

21-4-22

(राम कृपाल चौधरी)
परियोजना निदेषक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कानपुर नगर।

पृ0सं0 22 /तददिनांकित

प्रतिलिपिः (1) डा0 सुधांशु त्रिवेदी मा0 संसद सदस्य, राज्य सभा को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (मो0नं0 9414189254) को सूचनार्थ एवं प्रस्तावित कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

परियोजना निदेषक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कानपुर नगर।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
राज्य परियोजना निदेशालय (उ0प्र0)

पी0 के0 पाण्डेय
निदेशक (रूसा)

Phone: 0522-2438188
Email: spdrusaup@gmail.com

अतिआवश्यक / समयबद्ध

पत्रांक– 646 /SPD/RUSA/ 66/15 /2015–16 दिनांक : 23/11/15

सेवा में,

1. कुलसचिव,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
2. कुलसचिव,
छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
5. कुलसचिव,
डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
6. कुलसचिव,
डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
7. कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. कुलसचिव,
एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
9. कुलसचिव,
महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
10. कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
11. कुलसचिव,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

विषय–राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के सापेक्ष **दिनांक–07.12.2015 तक Action Plan,Timeline एवं ब्लूप्रिंट** प्रेषित किये जाने तथा **दिसम्बर, 2015 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित किये जाने के सन्दर्भ में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दिनांक–20.11.2015 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करे। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के कम में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार Action Plan, Timeline एवं ब्लूप्रिंट दिनांक–07.12.2015 तक प्रत्येक दशा में राज्य परियोजना निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाय।

2– शासनादेश संख्या–72/सत्तर–3–2015–7(72)2013 दिनांक–4 मार्च,2015 के द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रशासकीय एवं वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर पर बोर्ड ऑफ गर्वनस के गठन के साथ–साथ विश्वविद्यालय को स्वीकृत धनराशि के व्यय करने हेतु प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु अधिकार दिये गये है (प्रतिलिपि संलग्न, सलग्नक–1)। सन्दर्भित शासनादेश में यह भी उल्लेख है कि जिस परियोजना कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी

उसका उपभोग उसी परियोजना के अन्तर्गत किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में परियोजना की धनराशि का व्यावर्तन (डायवर्जन) किसी अन्य परियोजना में नही किया जायेगा।

3– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के Component-Infrastructure Grants to Universities के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों को राज्य परियोजना निदेशालय के पत्रांक संख्या–19-25/SPD/RUSA/8/15/2014-15 दिनांक– 19.03.2015, पत्रांक संख्या– 26-32/SPD/ RUSA/ 8/15/ 2014-15 दिनांक– 19.03.2015, पत्रांक संख्या– 58-64/SPD/RUSA/8/15/2014-15 दिनांक–26.03.2015 द्वारा धनराशि (Seed money) अवमुक्त करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त धनराशि से संशोधित कार्य योजना के सापेक्ष Action Plan,Timeline एवं ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराने हेतु समय–समय पर अनुरोध किया गया है।

4– मानव ससांधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की अनुमोदित कार्ययोजना पत्र के साथ संलग्न है (संलग्नक–2)।

5– विश्वविद्यालय को द्वितीय किस्त प्राप्त किये जाने हेतु अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण कार्य हेतु पोर्टल aishe.gov.in पर सम्बद्ध महाविद्यालयों का शतप्रतिशत डाटा अपलोड कराये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये हैं।

अतः अनुरोध है कि बैठक में लिये गये निर्णयो के अनुरूप Action Plan,Timeline एवं ब्लूप्रिंट दिनांक–07.12.2015 एवं निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण दिसम्बर,2015 के अन्त तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– उक्तवत्।

भवदीय

(पी0के0 पाण्डेय)
निदेशक

पृ0सं0– 646 /SPD/RUSA/ 66 / 15 / 2015–16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव (कुलपतिगण, सन्दर्भित राज्य विश्वविद्यालय) को मा0 कुलपति महोदय के अवगतार्थ।
2. रूसा समन्वयक, सन्दर्भित राज्य विश्वविद्यालय।

(पी0 के0 पाण्डेय)
निदेशक

C.S.J.M. University, Kanpur		Dr. Bhimrao Ambedker University, Agra	
Description of Work	**Proposed Amount (Rs. Crore)**	**Description of Work**	**Proposed Amount (Rs. Crore)**
Creation of New Facilities		**Creation of New Facilities**	
a. Creation of new departments/ Courses and Establishment of New Laboratories for Existing UG & PG Programs and for New PG Programs	05.33	a. Academic Block for Department of History and Culture	1.20
b. Toilet Blocks	00.84	b. Resources Center for Ph. D. Courses (New Classroom, Computer Lab for course work for Ph.D.,)	0.50
c. Establishment of Virtual Class Room	00.83	c. Training and Placement Cell	0.20
Total	7.00	d. Recreation and Health Center for Staff and Faculty	0.40
		e. Extension of guest house room	0.40
		f. New Toilet Blocks	0.30
		g. Establishment of Women Study Center at Institute of Home Science	0.40
		h. Classrooms and Laboratories for Institute of Fine Arts	1.20
		i. Art Gallery, Institute of Fine Art	0.20
		j. New Construction of Classroom for pharmacy Dept.	0.30
		k. New Lab Block for pharmacy and Chemistry	0.20
		l. New Classroom and Lab for Computer Science Department	0.20
		m. Software Development for Examination and Evaluation System	0.50
		n. Centre for self employment skills, Department of Textiles and Clothing	0.50
		o. Facility for Differently Challenged Persons (Ramps to all floors)	0.30
		p. New Laboratories for Department of Tourism and Hotel Management	0.20
		Total	7.00
Renovation & Up gradation		**Renovation & Up gradation**	
a. Renovation /Upgradation of Existing Laboratories	02.25	a. Parking facility and Beautification of Campus	0.60
b. Upgradation of Existing Classrooms	02.89	b. Renovation of Home Science Library and Multipurpose Hall	0.30
c. Renovation of Boys & Girls Hostel	01.46	c. Renovation of Existing Classrooms (in all 68 classrooms, at least two from each academic department).	2.50

		Renovation will be done keeping in mind to change the classrooms to Smart classrooms	
d. Upgradation of Admin Offices Equipment (Computer Systems)/ Software Modules	00.40	d. Renovation of Toilets	0.30
Total	7.00	e. Renovation of Teacher's Rooms (at least 50 rooms , as per the need for Civil work and Furniture ,Aluminum Glass Partition etc.)	0.20
		f. Lab Renovation in all the Academic Departments with special emphasis to Chemistry, Zoology, Botany, Computer Science, Environment Science	0.50
		g. Renovation of roof of Staircases in Department of Mathematics	0.05
		h. Renovation Upgradation of Electricity supply system as per the increased load	0.20
		i. Renovation Community FM Radio Station	0.10
		j. Renovation of Girls and Boys Hostels	0.50
		k. Air conditioning of Seminar Halls at Department of Mathematics, Department of Chemistry, Institute of Engg. and Technology, Multipurpose Hall at Institute of Home Science, Seminar Hall, Institute of Social Science	0.40
		l. Renovation of Central Library	0.30
		m. Renovation of Office Block at Paliwal Park Campus	0.35
		n. Renovation of Old Building at Institute of Home Science	0.15
		o. Light and Sound System as per required for Youth Festval in J.P Sabhagar , Khandari, Agra	0.15
		p. Light and Sound System in Jubli Hall , Paliwal Park Campus	0.10
		q. Minor repairing work at Institute of Life Science	0.05
		r. Major Renovation of Extension Education Academic Block	0.25
		Total	7.00
Procurement of Equipments & Books /journals/e-Resources		Procurement of Equipments & Books /journals/e-Resources	
a. Equipments for updating of Learning Resources /Presentation Skill/ Communication Skill	00.69	a. Equipments for at least 68 Smart classrooms (at least two	1.5

b. Purchase of New Books & E-Journals by various Departments for Research Work	02.00
c. New Equipment for Creation of Data Centre and Disaster Recovery (DC-DR)	03.31
Total	
Grand Total	6.00
	20.0

in each academic departments)	
b. Equipments for Laboratories in following Departments (No equipments will be duplicated)	4.5
Total	
Grand Total	6.0
	20.0

Dr. Ram Manohar Lohia Awadh University, Faizabad

Description of Work	Proposed Amount (Rs. Crore)
Creation of New Facilities	
a. Hostel	
b. Toilet Blocks	00.00
c. Laboratory	01.00
a. Central Instrumentation Facility Building b. Adv. Animal House c. Green House d. Adv Antarctic Environmental Research Lab	04.50 00.35 00.15 01.00
Total	
Renovation & Up gradation	7.00
a. Academic Building	
b. Administrative Building	00.50
c. Campus Development	00.15
d. Hostel	00.25
e. Toilet	00.50
f. Library	00.50
g. Classroom	00.50
h. Auditorium	01.00
i. Canteen	00.50
j. Laboratory	00.50
k. Computer Centre	01.35
Total	01.25
Procurement of Equipments & Books /journals/e-Resources	7.00
a. Sports Facilities	
b. Computer/ Software	01.00
c. Books and journals	02.00
d. E-journals	01.50
Total	01.50
Grand Total	6.0
	20.0

Lucknow University, Lucknow

Description of Work	Proposed Amount (Rs. Crore)
Creation of New Facilities	
a. Laboratory	
b. Hostel	4.5
c. Toilets	2.0
	0.5
Total	
Renovation & Up gradation	7.00
a. Academic Building	
b. Administrative Building	2.5
c. Campus Development	1.0
d. Class rooms	1.0
e. Auditorioum	1.0
f. Canteen Cafetarea	0.50
g. Play Ground	0.50
	0.50
Total	
	7.00
Procurement of Equipments & Books /journals/e-Resources	
a. Computer Centre /e-campus	
b. Sport equipments	1.0
c. Books and journals/e-resources	2.5
Total	2.5
	6.0
Grand Total	
	20.0

संख्या- 11/2018/1119/सत्तर-3-2018-7(73)/2013 टी0सी0

प्रेषक,

नरेन्द्र शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान,
राज्य परियोजना निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 28 मई, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-7/2018/735/सत्तर-3-2018-7(73)/2013टी.सी., दिनांक 27 मार्च, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं हेतु निम्न विवरणानुसार राज्य विश्वविद्यालयों को तृतीय किश्त के रूप में अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत अवशेष केन्द्रांश की धनराशि रू0 14316499.00 /- (रू0 एक करोड़ तिरालिस लाख सोलह हजार चार निन्यानबे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि राज्य परियोजना निदेशक द्वारा आहरित कर सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालयों के इस हेतु खोले गए खाते में इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी:-

	तृतीय किश्त	(धनराशि रूपये में)
क्र0सं0	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रांश
1	2	3
1	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	3579124.75
2	छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	3579124.75
3	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	3579124.75
4	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालर, जौनपुर	3579124.75
	कुल योग	14316499.00

2& स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित कार्यो के लिए किया जाएगा।

(2) उक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित संस्था के लिए उनके द्वारा भेजे गए तथा स्वीकृत अनुमोदित स्टेट हायर एजुकेशन प्लान (एसएचईपी) के अनुरूप किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्ही मदों के अन्तर्गत किया जाएगा जिनके लिए धनराशि प्राविधानित है एवं जिनका मांग की गयी है, अन्य किसी मद में व्यय नही किया जाएगा।

(3) भारत सरकार के मानकानुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) अगली वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व में जारी की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र अवश्य कराया जाएगा।

(5) उल्लिखित फाण्टवार स्वीकृत की जा रही केन्द्रांश की धनराशि में यदि कोई विचलन/संशोधन पाया जाता है तो तत्सम्बन्धी सूचना से शासन को तत्काल अवगत कराया जाएगा।

(6) वित्त विभाग के सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समयसमय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

(7) पूर्व की भाँति विश्वविद्यालय स्तर के कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने हेतु विश्वविद्यालय केकुलपति को अधिकृत किया जाता है एवं राजकीय महाविद्यालयों में निर्माण से सम्बन्धित कार्यो हेतु कार्यदायीं संस्था कनिर्धारण निम्नवत किया जाता है:-

(क)	मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ मुरादाबाद एवं बरेली-	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम।
(ख)	लखनऊ, कानपुर, झाँसी, चित्रकुट, गोण्डा एवं फैजाबाद मण्डल-	सी0एन0डी0एस0, जल निगम।
(ग)	बस्ती, गोरखपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, बनारस एवं मिर्जापुरमण्डल-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

(8) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाएगा और इसके लिए कार्यदायी संस्थाके साथ अनुबन्ध पत्र किया जाए जिसमें यह भी अंकित हो कि निर्माण कार्य व पूर्ण भवन निर्माण के लिए प्रस्तुत प्रथम आगणन(जिसके आधार पर प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ) की धनराशि में ही कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी और उक्त आगणन में अंकित धनराशि के अतिरिक्त और धनराशि मांगने सम्बन्धी पत्राचार विचारणीय नहीं होंगे। निर्माण के दौरान प्लिन्थ् स्लैब व कम्प्लीशन के स्तर पर लब्ध प्रतिष्ठित संस्था जैसे एच0बी0टी0आई0, कानपुर, आई0आई0टी0 बी0एच0यू0, आई0आई0टी0 रूड़की से कराया जाएगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्त, मानक एवं विशिष्टयों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद, सम्बन्धित प्राचार्य के साथ साथ कार्यदायीं संस्था का होगा।

(10) सम्बन्धित विश्वविद्यालय कार्यदायी संस्था के साथ यह अनुबन्ध करेंगे कि निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण होगा और यदि निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब होगा तो इसके व्यय व निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था जिम्मेदार होगी। इस हेतु निर्धारित जुर्माना लिया जाएगा तथा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन निर्माण के कम से कम तीन स्तर पर एच०बी०टी०आई०, कानपुर अथवा आई०आई०टी० बी०एच०यू० के सिविल इन्जीनियरिंग विभाग से कराया जाएगा जिसका व्यय कार्यदायी संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-''4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाए-0106-राज्य विश्वविद्यालयों मे आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना(के.60/रा.40 के.+रा.)-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं शासनादेश दिनांक20 नवम्बर, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों एवं इसमें अन्तर्निहित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नरेन्द्र शंकर पाण्डेय)
विशेष सचिव,

संख्या- 11 /2018/1119/सत्तर-3-2018-7(73)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, उच्च शिक्षा, इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
5- सम्बन्धित कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6- संयुक्त सचिव (H.E) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली-110115
7- अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
8- श्री संजय कुमार दिवाकर, उपनिदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा सेवा अभियान।
9- वित्त ई-11 अनुभाग/उच्च शिक्षा अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्तसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

राज्य परियोजना निदेशालय (उ0प्र0)
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
(National Higher Education Mission)

Phone No: 0522- 2438188 Email: upshec @gmail.com

पत्रांक : 19-25 / SPD / RUSA / 8/15 / 2014–15 दिनांक : 19/3/2015

कार्यालय–आदेश

शासनादेश सं0–280 / सत्तर–3–2014–7(73) / 2013 दिनांक 09 मार्च, 2015 द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य विश्वविद्यालयों (9) को आधारभूत सुविधाओं हेतु प्रथम किश्त की स्वीकृति रू0 16.50 करोड़ (रू0 सोलह करोड पचास लाख मात्र) प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को इस हेतु खोले गए खाते में इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। विश्वविद्यालयों का विवरण निम्नवत है:–

क्रम	विश्वविद्यालय का नाम	कुल स्वीकृत धनराशि रूपयों में (प्रथम किश्त केन्द्रांश + राज्यांश)
1	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।	1,83,33,334
2	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	1,83,33,334
3	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	1,83,33,334
4	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	1,83,33,333
5	चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।	1,83,33,333
6	छत्रपति 'शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर।	1,83,33,333
7	एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।	1,83,33,333
8	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।	1,83,33,333
9	मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	1,83,33,333
	योग–	16,50,000,00

उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:–

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित कार्यों के लिए किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित संस्था के लिए उनके द्वारा भेजे गए तथा स्वीकृत / अनुमोदित स्टेट हायर एजुकेशन प्लान (Shep) के अनुरूप किया

जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्ही मदों के अन्तर्गत किया जायेगा जिनके लिए धनराशि प्राविधानित है एवं जिनकी मांग की गयी है, अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालयों स्तर के उपरोक्त निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

(4) भारत सरकार के मानकानुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) अगली वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व वित्तीय वर्ष 2014–15 में जारी की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) वित्त विभाग के समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान सं0–73 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखा **शीर्षक–"4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–03–राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान–0303–राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना (के.65/रा. 35–के.+रा.)–24–वृहद निमार्ण कार्य"** के नामे डाली जायेगी।

(ओ0पी0 वर्मा)
निदेशक, RUSA

पत्रांक व तद्दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. वित नियत्रंक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
5. कुलसचिव, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6. डॉ0 आर0पी0एस0 यादव, आहरण वितरण अधिकारी/उपनिदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, लखनऊ।
7. अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–03, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

(ओ0पी0 वर्मा)
निदेशक, RUSA

https://pfms.nic.in/ImplementingAgency/FundsIncome/

Funds From State Governm...

Public Financial Management System-PFMS

(formerly CPSMS)

D/o Controller General of Accounts, Ministry of Finance

Welcome: **PULKIT PANDEY**
User Type: **AGENCYDA**
Agency: **CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY**
Financial Year: **2018-2019**

[Pulkit1] Logout
Change Password

- AdhocReports
- Home
- Scholarship Management
- E-Payment
- Health Module
- Sanctions
- Reports
- My Details
- Masters
- My Schemes
- Agencies
- EAT MIS Process
- My Funds
- Transfers
- Advances
- Expenditures

Funds From State Government Details

Request has been approved successfully

Sanction Number:	05/2018/739/70-3-2018-7(73)/2018 T.C.
Sanction Date:	15/03/2019
Actual Transaction Date:	15/03/2019
Scheme Name:	RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN
Voucher Number:	BP-2018-19-24
Bank Account:	349502010995128 - RASHTRIYA UCHCHTAR SHIKSHA ABHIY
Sanction Amount:	6722800.00
Financial Year:	2019
State Scheme Name:	RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN (RUSA)
Payment Mode:	EPaymentUsingPrintAdvice
Favoring:	RUSA GRANT-III
IFSC Code:	
MICR Code:	
Instrument Number:	
Instrument Date:	15/03/2019
Status:	Approved
Remark:	RUSA GRANT-III

Back | Reversal Transaction

EN 4:02 PM 15/Mar/2019

राज्य परियोजना निदेशालय (उ0प्र0)
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
(National Higher Education Mission)

Phone No: 0522- 2287977 Email: spdrusaup@gmail.com

पत्रांक : 593 /SPD/RUSA /8 /15 /2016–17 दिनांक : 04-01-2017

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश सं0–14/2016/2002/सत्तर–3–2016–7(73)/2013 टी0सी0 दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य विश्वविद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं हेतु प्राप्त **प्रथम किश्त** के रूप में रू0 **6300000/-** (रू0 तिरसठ लाख मात्र) एवं **द्वितीय किश्त** के रूप में रू0 34886250/- (रू0 तीन करोड़ अड़तालिस लाख छियासी हजार दो सौ पचास मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 **41186250/– (रू0 चार करोड़ ग्यारह लाख छियासी हजार दो सौ पचास मात्र)** अवमुक्त की जाती है। उक्त धनराशि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित धनराशि इस हेतु खोले गये RUSA खाते में PFMS के माध्यम अन्तरित की जायेगी।

(प्रथम किश्त)

क्रम	विश्वविद्यालय का नाम	कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	6300000

(द्वितीय किश्त)

क्रम	विश्वविद्यालय का नाम	कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।	5048750
2	महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	5048750
3	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	5048750
4	डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।	4593750
5	छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर।	5048750
6	एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।	5048750
7	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।	5048750

उक्त धनराशि का उपयोग निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:–

1– धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत तथा भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम एवम् राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित कार्यों के लिए किया जाएगा।

2— धनराशि का व्यय सम्बन्धित संस्था के लिए उनके द्वारा भेजे गए तथा स्वीकृत अनुमोदित स्टेट हायर एजुकेशन प्लान (एसएचईपी) के अनुरूप किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों के अन्तर्गत किया जाएगा, जिनके लिए धनराशि प्राविधानित है एवं जिनकी मांग की गयी है, अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जाएगा।

3— भारत सरकार के मानकानुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

4— अवमुक्त की मयी धनराशि का त्रैमासिक उपभोग प्रमाण—पंत्र उपलब्ध कराते हुऐ Bhuwan RUSA app के माध्यम से Geotagging भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5— वित्त विभाग के सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय—समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6— पूर्व की भॉति विश्वविद्यालय स्तर के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

7— यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाए।

8— अवमुक्त की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव के साथ—साथ कार्यदायी संस्था का होगा।

9— दिनांक 01.07.2016 से समस्त वित्तीय लेन—देन PFMS के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(जितेन्द्र कुमार)
निदेशक, रूसा

पत्रांक : 593/SPD/RUSA /08/15 /2016—17 तद्‌दिनांक। :

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव (H.E.) उच्चतर शिक्षा विभाग, MHRD, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. वित्त नियत्रंक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
5. कुलपति / कुलसचिव, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6. रूसा कोर्डिनेटर, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
7. अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग—03, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

डा0(आर0पी0एस0 याद0)
उपनिदेशक,रूसा

https://pfms.nic.in/ImplementingAgency/FundsIncome/

Funds From State Governm...

Public Financial Management System-PFMS

(formerly CPSMS)

O/o Controller General of Accounts, Ministry of Finance

Welcome: **PULKIT PANDEY**
User Type: **AGENCYDA**
Agency: **CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY**
Financial Year: **2018-2019**

[Pulkit1] Logout
Change Password

- AdhocReports
- Home
- Scholarship Management
- E-Payment
- Health Module
- Sanctions
- Reports
- My Details
- Masters
- My Schemes
- Agencies
- EAT MIS Process
- My Funds
- Transfers
- Advances
- Expenditures

Funds From State Government Details

Sanction Number:	05/2018/737/70-3-2018-7(73)/2018 T.C.
Sanction Date:	15/03/2019
Actual Transaction Date:	15/03/2019
Scheme Name:	RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN
Voucher Number:	BP-2018-19-22
Bank Account:	349502010995128 - RASHTRIYA UCHCHTAR SHIKSHA ABHIY
Sanction Amount:	36265000.00
Financial Year:	2019
State Scheme Name:	RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN(RUSA)
Payment Mode:	EPaymentUsingPrintAdvice
Favoring:	RUSA GRANT-III
IFSC Code:	
MICR Code:	
Instrument Number:	
Instrument Date:	15/03/2019
Status:	Approved
Remark:	RUSA GARANT-III

Back | Reversal Transaction

EN 4:03 PM 15/Mar/2019

राज्य परियोजना निदेशालय (उ0प्र0)
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
(National Higher Education Mission)

Phone No: 0522- 2287977 Email: spdrusaup@gmail.com

पत्रांक : 224/SPD/RUSA / 8/15/2017–18 दिनांक : 29/3/2018

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश सं0–05/2018/734/सत्तर–3–2018–7(73)/2013 दिनांक 27 मार्च, 2018(प्रतिसंलग्न) द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में **अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग(उच्च शिक्षा)** के अन्तर्गत **द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त हेतु राज्य विश्वविद्यालयों** के आधारभूत सुविधाओं हेतु उक्त शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत धनराशि रू0 **178185411.50+148800000.00=326985411.50 (रूपया बत्तीस करोड़ उन्हत्तर लाख पचासी हजार चार सौ ग्यारह एवं पचास पैसा मात्र)** अवमुक्त की जाती है। उक्त धनराशि निम्नलिखित राज्य विश्वविद्यालयों को इस हेतु खोले गये RUSA खाते में PFMS के माध्यम अन्तरित की जायेगी।

(धनराशि रूपये में)

अनुदान संख्या–73, द्वितीय किश्त		
क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रांश
1	2	3
1.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	60514580.75
2.	डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	57156250.00
3.	दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर	60514580.75
	कुल योग–	178185411.50

अनुदान संख्या–73, तृतीय किश्त		
क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रांश
1	2	3
1.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	37200000.00
2.	छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	37200000.00
3.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	37200000.00
4.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	37200000.00
	कुल योग–	148800000.00

भवदीय

(नरेन्द्र शंकर पाण्डेय)
निदेशक, रूसा

पत्रांक : 224 /SPD/RUSA / 8 / 15/2017–18 तद्दिनांक। :
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

राज्य परियोजना निदेशालय (उ0प्र0)
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
(National Higher Education Mission)

Phone No: 0522- 2287977

Email: spdrusaup@gmail.com

पत्रांक : 223 /SPD/RUSA / 8/15/2017–18 दिनांक : 29/3/2018

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश सं0–06/2018/736/सत्तर–3–2018–7(73)/2013टी0सी0 दिनांक 27 मार्च, 2018 (प्रतिसंलग्न) द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में **अनुदान संख्या–81 शिक्षा विभाग(उच्च शिक्षा)** के अन्तर्गत **द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त हेतु राज्य विश्वविद्यालयों के** आधारभूत सुविधाओं हेतु उक्त शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत धनराशि रू0 **17243749.50+7241250.50=24485000.00(रूपया दो करोड़ चौव्वालिस लाख पचासी हजार मात्र)** अवमुक्त की जाती है। उक्त धनराशि निम्नलिखित राज्य विश्वविद्यालयों को इस हेतु खोले गये RUSA खाते में PFMS के माध्यम अन्तरित की जायेगी।

(धनराशि रूपये में)

अनुदान संख्या–81 द्वितीय किश्त		
क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रांश
1	2	3
1.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	5856249.75
2.	डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	5531250.00
3.	दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर	5856249.75
	कुल योग–	**17243749.50**

अनुदान संख्या–81, तृतीय किश्त		
क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रांश
1	2	3
1.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	1810312.63
2.	छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	1810312.63
3.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	1810312.63
4.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	1810312.63
	कुल योग–	**7241250.50**

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(नरेन्द्र शंकर पाण्डेय)
निदेशक, रूसा

पत्रांक : 223 /SPD/RUSA / 8/15/2017–18 तद्दिनांक। :

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

राज्य परियोजना निदेशालय (उ0प्र0)
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
(National Higher Education Mission)

Phone No: 0522- 2287977 Email: spdrusaup@gmail.com

पत्रांक : 591/SPD/RUSA /8/15/2016–17 दिनांक : 04-01-2017

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश सं0–11/2016/1825/सत्तर–3–2016–7(73)/2013 टी0सी0 दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य विश्वविद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं हेतु प्राप्त **प्रथम किश्त** के रूप में रू0 **12600000/-** (रू0 एक करोड़ छब्बीस लाख मात्र) एवं **द्वितीय किश्त** के रूप में रू0 **69772499/-** (रू0 छः करोड सतान्नब्बे लाख बहत्तर हजार चार सौ निन्यानब्बे मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 82372499/– **(रू0 आठ करोड़ तेईस लाख बहत्तर हजार चार सौ निन्यानब्बे मात्र)** अवमुक्त की जाती है। उक्त धनराशि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित धनराशि इस हेतु खोले गये RUSA खाते में PFMS के माध्यम अन्तरित की जायेगी।

(प्रथम किश्त)

क्रम	विश्वविद्यालय का नाम	कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	12600000

(द्वितीय किश्त)

क्रम	विश्वविद्यालय का नाम	कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।	10097500
2	महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।	10097500
3	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	10097500
4	डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।	9187500
5	छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर।	10097500
6	एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।	10097500
7	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।	10097500

उक्त धनराशि का उपयोग निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:–

1– धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत तथा भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम एवम् राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित कार्यों के लिए किया जाएगा।

2– धनराशि का व्यय सम्बन्धित संस्था के लिए उनके द्वारा भेजे गए तथा स्वीकृत अनुमोदित स्टेट हायर एजुकेशन प्लान (एसएचईपी) के अनुरूप किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं मदों के अन्तर्गत किया जाएगा, जिनके लिए धनराशि प्राविधानित है एवं जिनकी मांग की गयी है, अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जाएगा।

3– भारत सरकार के मानकानुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

4– अवमुक्त की गयी धनराशि का त्रैमासिक उपभोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराते हुऐ Bhuwan RUSA app के माध्यम से Geotagging भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5– वित्त विभाग के सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6– पूर्व की भाँति विश्वविद्यालय स्तर के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

7– यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाए।

8– अवमुक्त की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव के साथ–साथ कार्यदायी संस्था का होगा।

9– दिनांक 01.07.2016 से समस्त वित्तीय लेन–देन PFMS के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(जितेन्द्र कुमार)
निदेशक, रूसा

पत्रांक : 591/SPD/RUSA / 8 / 15/2016–17 तद्दिनांक।:

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव (H.E.) उच्चतर शिक्षा विभाग, MHRD, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. वित्त नियत्रंक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
5. कुलपति / कुलसचिव, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6. रूसा कोर्डिनेटर, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
7. अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–03, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

डा0(आर0पी0एस0 याद0)
उपनिदेशक, रूसा

राज्य परियोजना निदेशालय (उ0प्र0)
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
(National Higher Education Mission)

Phone No: 0522- 2287977 Email: spdrusaup@gmail.com

पत्रांक 319 /SPD/RUSA/ 8 / 15 /2017-18 दिनांक: 15.06.2018

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश सं0- 10/2018/1120/सत्तर-3-2018-7(73)/2013 टी0सी0 दिनांक 28 मई, 2018 (प्रति संलग्न) द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 शिक्षा विभाग(उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत तृतीय किश्त हेतु राज्य विश्वविद्यालयों के आधारभूत सुविधाओं हेतु उक्त शासनादेश में निहीत शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत धनराशि रू0 7158749.00 (रूपया इकहत्तर लाख अठठावन हजार सात सौ उनचास मात्र) अवमुक्त की जाती है। उक्त धनराशि निम्नलिखित राज्य विश्वविद्यालयों को इस हेतु खोले गये **RUSA** खाते में **PFMS** के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

(धनराशि रूपये में)

अनुदान संख्या-81, तृतीय किश्त		
क्रं0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रांश
1	2	3
1.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	1789687.38
2	छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	1789687.38
3	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	1789687.38
4	वीर सिंह बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	1789687.38
	कुल योग	7158749.50

भवदीय

(संजय कुमार दिवाकर)
उप निदेशक, रूसा

पत्रांक 319 /SPD/RUSA/ 8 / 15 /2017-18 तद्दिनांक:

प्रतिलिपः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. वित्त नियत्रंक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
5. कुलसचिव, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6. अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग-03, उ0प्र0, शासन।
7. अपर सचिव, उ० प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद

(संजय कुमार दिवाकर)
उप निदेशक, रूसा

https://pfms.nic.in/ImplementingAgency/FundsIncome/

Funds From State Governm...

Public Financial Management System-PFMS

(formerly CPSMS)

O/o Controller General of Accounts, Ministry of Finance

Welcome: **PULKIT PANDEY**
User Type: **AGENCYDA**
Agency: **CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY**
Financial Year: **2018-2019**

[Pulkit1] Logout
Change Password

- AdhocReports
- Home
- Scholarship Management
- E-Payment
- Health Module
- Sanctions
- Reports
- My Details
- Masters
- My Schemes
- Agencies
- EAT MIS Process
- My Funds
- Transfers
- Advances
- Expenditures

Funds From State Government Details

Sanction Number:	05/2018/738/70-3-2018-7(73)/208T.C
Sanction Date:	15/03/2019
Actual Transaction Date:	15/03/2019
Scheme Name:	RASHTRIYA UCHHATAR SIKSHA ABHIYAN
Voucher Number:	BP-2018-19-23
Bank Account:	349502010995128 - RASHTRIYA UCHCHTAR SHIKSHA ABHIY
Sanction Amount:	3362000.00
Financial Year:	2019
State Scheme Name:	RASHTRIYA UCHHATAR SHIKSHA ABHIYAN(RUSA)
Payment Mode:	EPaymentUsingPrintAdvice
Favoring:	RUSA GRANT-III
IFSC Code:	
MICR Code:	
Instrument Number:	
Instrument Date:	15/03/2019
Status:	Approved
Remark:	RUSA GRANT-III

Back | Reversal Transaction

EN 4:03 PM 15/Mar/2019

राज्य परियोजना निदेशालय (उ0प्र0)
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
(National Higher Education Mission)

Phone No: 0522- 2287977 Email: spdrusaup@gmail.com

पत्रांक : 222 /SPD/RUSA / 8 /15/2017–18 दिनांक : 29/3/2018

कार्यालय–ज्ञाप

शासनादेश सं0–07/2018/735/सत्तर–3–2018–7(73)/2013टी0सी0 दिनांक 27 मार्च, 2018 (प्रतिसंलग्न) द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में **अनुदान संख्या–83 शिक्षा विभाग(उच्च शिक्षा)** के अन्तर्गत **द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त हेतु राज्य विश्वविद्यालयों के** आधारभूत सुविधाओं हेतु उक्त शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत धनराशि **रू0 34487499.00+14483501.00=48971000.00 (रूपया चार करोड़ नवासी लाख इक्हत्तर हजार मात्र)** अवमुक्त की जाती है। उक्त धनराशि निम्नलिखित राज्य विश्वविद्यालयों को इस हेतु खोले गये RUSA खाते में PFMS के माध्यम अन्तरित की जायेगी।

(धनराशि रूपये में)

अनुदान संख्या–83 द्वितीय किश्त		
क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रांश
1	2	3
1.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	11712499.50
2.	डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	11062500.00
3.	दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर	11712499.50
	कुल योग–	**34487499.00**

(धनराशि रूपये में)

अनुदान संख्या–83, तृतीय किश्त		
क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रांश
1	2	3
1.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी	3620875.25
2.	छत्रपति भाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	3620875.25
3.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	3620875.25
4.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	3620875.25
	कुल योग–	**14483501.00**

भवदीय

(नरेन्द्र शंकर पाण्डेय)
निदेशक, रूसा